माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प, उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

BR/निगरानी/मंदसौर/भू-रा/2017/4271

1– कचरूसिंह पिता श्री भुवानसिंह गुर्जर, आयु 71 वर्ष, धंधा खेती,

2– पर्वतसिंह पिता कचरूसिंह गुर्जर, आयु 34 वर्ष, धंधा खेती निवासीगण–ग्राम ढाबलामहेश तहसील सुवासरा जिला मंदसौर (म.प्र.)

--------प्रार्थी / निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

दशरथ पिता श्री राघुजी गुर्जर, निवासी–ग्राम ढाबलामहेश तहसील सुवासरा जिला मंदसौर (म.प्र.)

----प्रतिप्रार्थी / उत्तरदाता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय, तहसील सुवासरा जिला मंदसौर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 08/अ–13/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 13/10/2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **जिला मंदसौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.11.2017	आवेदक की ओर से श्री टी0टी0गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13–10–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा अभी अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । तहसीलदार को अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण करना है जहॉ आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **अध्यक्ष**	